संचिका संख्या : 3780/4/25/2021

दिनांक :—02.06.2022

आवेदक के द्वारा यह कहते हुए कि उनके पिताजी सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के पद से 31 दिसंबर 1989 को अवकाश प्राप्त किये। उनका निधन 25 मार्च 1995 को हुआ। उनके निधन के पश्चात् उनकी माताजी को पारिवारिक पेंशन जिला कोषागार, पटना से प्राप्त होने लगा। जिला कोषागार, पटना से मेरी माताजी का पेंशन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रूकनपुरा शाखा को स्थानान्तरित कर दिया गया। वर्ष 2014 में महालेखाकार, बिहार ने मेरी माताजी का पेंशन पुनरीक्षित करते हुए दिनांक—01.01.1996 से 31.12.2005 तक पेंशन की मूल राशि 5,625/—रु0 एवं पुनः 01.01.20006 से 17,310/— रु0 प्रति माह किया गया है। जुलाई 2014 से बढ़े हुए पेंशन का भुगतान एकतरफा कर दिया गया है, परन्तु 01.01.1996 से जुन 2014 तक बकाया राशि का भुगतान उनकी माताजी के जीवन काल में नहीं किया गया है। उनकी माताजी का देहांत 23 दिसंबर 2019 को हो गया। वित्त विभाग के संकल्प संख्या—14303 को संशोधित करते हुए बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की उम्र के आधार पर पेंशन की राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया जो 01.01.20006 से प्रभावी होगा। लेकिन इसका लाभ उनकी माताजी को नहीं दिया गया है। आवेदक ने यह भी कहा है कि अथक प्रयास के बाद बैंक ने बकाया पेंशन राशि की गणना कर एक विवरणी तैयार की, जो 2003 के अक्टूबर माह से दिसम्बर 2019 तक की थी। जबकि बकाये राशि का भुगतान 01.01.1996 से करना था। बैंक ने इस विवरणी को कोषागार पदाधिकारी, पटना को प्रेषित कर दिया। बाद में महालेखाकार, पटना के द्वारा भी माताजी का वाजिब पेंशन नहीं दिया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रूकनपुरा शाखा को भेजते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

कई अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवेदन अप्राप्त रहा है।

इस बीच आवेदक के तथाकथित भाई अजय नारायण सिन्हा के द्वारा यह सूचित किया गया है कि एक F.D की रकम दिनांक—11.06.2020 को परिपक्व होकर माताजी के खाता में आया है, जिसे आवेदक द्वारा छिपाया गया है। बैंक ने आवेदक को नामित(Nominee) के अधिकार से वंचित कर दिया है।

अजय नारायण सिन्हा से प्राप्त आवेदन की प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रूकनपुरा शाखा को भेजते हुए उन्हें प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। कार्यालय टिप्पणी

में यह लिखा गया है कि बैंक का प्रतिवेदन प्राप्त है, परन्तु बैंक का प्रतिवेदन संचिका में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बल्कि आवेदक के द्वारा तैयार किये गये एक पुनः आवेदन की प्रति संचिका में उपलब्ध है, जिसके द्वारा आवेदक ने कहा है कि राज्य आयोग के आदेश के उपरान्त बैंक ने बकाया राशि का भुगतान उनके माताजी के खाता में दिनांक–20.12.2021 को कर दिया गया है और अब कोई भी दावा लंबित नहीं है। अतः इस आवेदन को संचिकास्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस आवेदन पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में आवेदन के तथाकथित भाई अजय नारायण सिन्हा के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जो पृष्ठ–77/प0 पर रक्षित है। जिसकी प्रति बैंक को भेजी जा चुकी है। जिसमें यह कहा गया है कि बैंक ने आवेदक को नामित(Nominee) के अधिकार से वंचित कर रखा है। जबकि आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर नामित(Nominee) होने का अधिकार मांगा है। राज्य आयोग के द्वारा इस संबंध में किसी भी दावा पर कोई निर्णय/मंतव्य नहीं दे रही है। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए बैंक स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति आवेदक एवं शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रुकनपुरा, पटना को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson